

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 28/2022

उनवान

श्री बालसिंह पुत्र श्री छीतर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन
जिला अजमेर एवं डीलर उचित मूल्य दुकान एफ पी एस कोड नं० 2281 केसरपुरा
(पीसांगन)

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

.....अप्रार्थीगण

उपरिस्थित :-

- 1.श्री जिनेश सिंह सोनी अभिभाषक प्रार्थी
- 2.श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार


अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का
विनियमन) आदेश 1976

आदेश


दिनांक:- 24.04..2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 12/2020 बउनवान बालू सिंह उर्फ बाल सिंह बनाम जिला कलक्टर, अजमेर व जिला रसद अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक 23.03.2022 इस आशय का प्राप्त हुआ कि पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

वकिल अपीलान्त ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्त पिछले 32 वर्षों से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से करा रहा है। इस अवधि में अपीलान्त के विरुद्ध एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। सन् 1995 से वर्तमान प्रकरण तक अपीलान्त के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। अपीलान्त के राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया


(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर


गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे के निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत भी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यह निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्त द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का अपीलान्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्त द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरुद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय जयपुर बैच द्वारा दिनांक 11.08.2017 को आदेश इस आशय का पारित किया कि 90 दिन से अधिक हो गई जो तो पूर्व में पारित आदेश 26.02.2014 व 16.12.2015 के अनुरूप बहाल किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिए गये। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 से एक दिवस पूर्व केवल मात्र मानहानि के डर से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं राशन कार्ड की प्रतियों के बावजूद उपभोक्ताओं के बिना बयान दर्ज किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः अपील, अपीलान्त स्वीकार करते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 463/2016 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.08.2017 को निरस्त करते हुए अपीलान्त को उचित दुकान का प्राधिकार पत्र को बहाल करे। पश्चात अपीलान्त का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना हेतु अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेंट को दिनांक 21.8.2017 के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात अप्रैल 2018 में रेस्पोंडेंट का दिनांक 10.8.2017 का पत्र मिला जिसमें अपीलान्त की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख था। प्रश्नगत उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं को अपीलान्त से कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्त द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। नियमानुसार पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात ही उपभोक्ता को गेहूँ का वितरण किया गया है। उपरोक्त सिस्टम में नया होने तथा पोस मशीन एवं सीडिंग की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण एक आधार कार्ड से अनेक उपभोक्ताओं के गेहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबुझ कर इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से अवैध शून्य एवं प्रभावित है। उक्त आदेश श्रीमान द्वारा दिनांक 11.12.2019 को अपील खारिज की जाने पर एक पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 12/2020 बउनवान बालू सिंह उर्फ बाल सिंह बनाम जिला कलक्टर, अजमेर व जिला रसद अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक 23.03.2022 इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रकरण के विपरित प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 10.08.2017 को अर्थात् उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 11.8.2017 से एक दिन पूर्व किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रथम


(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

दृष्ट्या विवादित आदेश जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा सदभावनापूर्वक जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण को इन तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए पुनः गहराई से देखे जाने हेतु श्रीमान् को रिमाण्ड कर पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अतः अपील स्वीकार कर विवादग्रस्त निर्णय दिनांक 10.08.2017 जिला रसद अधिकारी अजमेर के प्रकरण संख्या 463/2016 में पारित किया गया है, को निरस्त करने के आदेश पारित किये जावे एवं निरस्त प्राधिकार पत्र को बहाल करे।


पैरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि अपीलान्त द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाघ विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्त द्वारा लिखित में स्पष्टीकरण पेश किया गया। जिस पर क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त डीलर प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त डीलर द्वारा एक ही आधार संख्या 462436487025 का दुरुपयोग कर अलग उपभोक्ताओं के कुल 29 राशन कार्डों के साथ सीडिंग करके एफपीएस कोड संख्या 2281 पीओएस मशीन से 405 किलोग्राम गेहूँ तथा एफपीएस कोड संख्या 7595 पीओएस मशीन से 145 किलोग्राम गेहूँ एवं 20 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेक्शन ई पीडीएस के साथ बीडीओ आईडी (बीडीओ 1190006) का प्रयोग कर दोनों पीओएस मशीन से कुल 51 फर्जी ट्रान्जेक्शन कर कुल 550 किलोग्राम गेहूँ एवं 88 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्रान्जेक्शन किया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग कर दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर ट्रान्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध होने से विभागीय प्रकरण में दिनांक 06.12.2016 को आदेश पारित कर अपीलान्त का एफपीएस कोड नं० 2281 ग्राम केसरपुरा एवं एफपीएस कोड संख्या 7595 ग्राम कोटाज का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्त को विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। श्रीमान् के आदेश दिनांक 11.12.2019 को आदेश जारी किया गया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अतः उक्त आदेश पूर्णतया न्यायसंगत विधि अनुरूप तथा अपीलान्त द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की गई। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर अपील तथ्यों के परिपेक्ष्य में मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 में स्पष्ट किया गया है कि यदि निलम्बन आदेश दिनांक से 90 दिन पूर्व पारित किया गया हो आदेश तब आगे जारी नहीं रहेगा बल्कि उक्त से अलग रखा गया है। खाघ निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षेत्रीय


(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जांच प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट प्रतीत नहीं होती है तथा संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण गहन जांच एवं अनुसंधान के पश्चात ही हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर उक्त प्रकरण बाबत पूर्व में दिनांक 11.12.2019 को निर्णय पारित किया गया जो कि विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा आदेश दिनांक 11.12.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर